

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : 5587/शैक्षिक पक्ष

दिनांक 24.10.2017


विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2015-16 के लिए पूर्व आबंटित विद्यालय में परिवर्तन व इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने बारे।

बोर्ड सचिव आदेश दिनांक 09.10.2017 की अनुपालना में निम्न वर्णित छात्र-अध्यापक का इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए पूर्व आबंटित विद्यालय से उसके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में परिवर्तन किया जाता है :

ROLL NO.	INTERN NAME	NEW ALLOTTED SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
5313020045	UMED	GPS KALIYANA/CH.DADRI/BHIWANI

उक्त वर्णित छात्र-अध्यापक को दिनांक 25.09.2017 से 31.03.2018 तक इण्टर्नशिप के न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः संबंधित प्राचार्य, डाईट/बाईट/गैटी प्रतिहस्ताक्षर करते हुए वर्णित छात्र-अध्यापक को परिवर्तित विद्यालय में कार्यग्रहण करवाए इस बात का ध्यान रखा जाना है कि छात्र-अध्यापक को इण्टर्नशिप के केवल न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। किसी भी अवस्था में 90 कार्यदिवस से अधिक इण्टर्नशिप किए जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि छात्र-अध्यापक के 90 कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आकलन करते हुए ग्रेड संबंधित डी.एड. सस्थान को भिजवाएंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए यह अन्तिम अवसर है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी व इस अवधि में यदि छात्र-अध्यापक इण्टर्नशिप पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसका डी.एड. डिप्लोमा स्वतः ही रद्द माना जाएगा व इसके पश्चात् कोई दावा/प्रतिवदेन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


24/10
सहायक सचिव (शैक्षिक)
कृते : सचिव

प्रतिहस्ताक्षर
प्राचार्य, संबंधित डाईट/बाईट/गैटी